

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 68/2018

दायर तारीख 02/11/2018

1. जयलाल पिता भूरालाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. गंगाराम पिता मांगू जाति भील उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. पानी पत्नि गंगाराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता हरिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :- 09.01.2019

डिक्री दिनांक :- 11.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां वहाजरी अधिवक्तावादी श्री छीतरलाल धाकड और प्रतिवादी अधिवक्ता एक पक्षीय पेश होकर हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम उम्मेदपुरा प0 मण्डल गुढा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	जयलाल पिता भूरालाल भील निवासी गणेशपुरा तह. बून्दी, जिला- बून्दी। गंगाराम पिता मांगू भील निवासी फतेहनगर। पानी पत्नि गंगाराम भील निवासी फतेहनगर।	उम्मेदपुरा	295	0.10	-
			296	0.19	
			297	0.17	
			298	0.19	
			299	0.14	
			300	1.08	
			301	0.13	
	योग		किता 07	6-00	-
02	गंगाराम पिता हरिया भील सादेह खातेदार	उम्मेदपुरा	291/1	0.01	-
			297/1	0.01	
			298/1	0.01	
			299/1	0.02	
			300/1	0.03	
	योग		किता 5	0.08	-



कोर्ट स्टैट प्रमाणित
भीलवाड़ा अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि भीलवाड़ा

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिया Nil बाबत Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में निर्णय दिनांक 09/01/2019 को प्रसारित किया गया निर्णय की अनुपालना में वकीलवादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 11/01/2019 को मुर्तिक की गई।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुकमनामा	-		बाबत इजराय हुकमनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद प्रमाणित किया।
उपखण्ड अधिकारी

पैसे स्टेट प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां